शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 60/2 अक्टूबर-दिसंबर 2022 400.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय
हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा
डॉ॰ मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)

दिल्ली एन॰सी॰आर॰
डॉ॰ अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ॰ मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ॰ शंकर क्षेम
प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ॰ अशोककुमार
09557746346
डॉ॰ कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ॰ अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी॰ए॰

शुल्क
आजीवन (दस वर्ष): छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : एक हजार रुपए
यह प्रति : चार सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ॰प्र॰) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल

अनुक्रम

स्वतंत्रता-आंदोलन में मातृशक्ति का योगदान : एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य
डॉ॰ रश्मि रानी आनंद, शुभम कुमार सानु, प्रिया शर्मा १५
भारतीय परिप्रेक्ष्य में पिंडदान अनुष्ठान की अवधारणा
पियुष देउरकर, डॉ॰ नरसिंह कुमार, डॉ॰ धर्मेन्द्र कुमार सिंह २२
प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार के मूलतत्त्व/ **डॉ॰ धीरज कदम** २८
शिक्षा के विकास में विज्ञान तकनीकी एवं बहुमाध्यम उपागम का बढ़ता हुआ
प्रभाव/ **कविता शर्मा** ३६
मस्तिष्क ज्वर : एक गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य समस्या/ **जितेंद्र शर्मा** ४४
गोकुला : एक किसान महायोद्धा/ **अमित कुमार, राजेश कुमार** ५१
बंजारा लोकसाहित्य और संस्कृति : एक अवलोकन/ **डॉ॰ अम्बुज कुमार**
बाढ़ के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन :
बिहार के खगड़िया जिले के संदर्भ में/ **डॉ॰ प्रीति द्विवेदी** ६३
प्राचीनकाल से मध्यकालीन भारत तक स्त्री दशा : समाज के आईने में
विकास जोशी, डॉ॰ ललित मोहन पंत ७०
झारखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का विश्लेषणत्मक अध्ययन 77
आशीष कुमार सिंह, डॉ॰ अजय बहादुर सिंह ७७
भारतीय संविधान में उपबंधित समानता को प्राप्त करने के लिए समान अवसर
आयोग की आवश्यकता/ **डॉ॰ शालिनी चौधरी, डॉ॰ दीपांकुर जोशी** ८०
भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का प्रवासन : इंडोनेशिया के विशेष संदर्भ में/
कविता जोशी ८६
फेसबुक पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता, पठनीयता और साझा करने की क्षमता
पर एक अध्ययन/ **डॉ॰ सुजीत कुमार, आयुषी राज** ९३
शिवाजी की शासन व्यवस्था का विश्लेषण/
प्रो॰ कार्तिकप्रसाद यादव, डॉ॰ जयगोविंद प्रसाद १०१
असहयोग आंदोलन एवं हरियाणा : एक ऐतिहासिक अध्ययन/ **डॉ॰ नीरज कुमार** १०५
इलाहाबाद शहर के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का
समाजशास्त्रीय अध्ययन/ **शिवानी जायसवाल, प्रो॰ आशीष सक्सेना** १११
मध्य हिमालयी क्षेत्र जौनपुर : एक ऐतिहासिक परिचय/
बिनीता मल्ल, डॉ॰ गुड्डी बिष्ट ११८
मनुस्मृति में नारी की प्रतिष्ठा/ **डॉ॰ शोकेन्द्र कुमार शर्मा** १२५

भारतीय संविधान में उपबन्धित समानता को प्राप्त करने के लिए समान अवसर आयोग की आवश्यकता

डॉ. शालिनी चौधरी
सहायक आचार्य एवं कार्यक्रम समन्वयक, अर्थशास्त्र विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) 263139
डॉ. दीपांकुर जोशी
सहायक आचार्य एवं कार्यक्रम समन्वयक, विधि विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) 263139

परिचय

प्रकृति के कानूनों के अपने सार्वभौमिक नियम हैं। शक्तिशाली प्राणी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है और सभी प्राणी उसका ही नेतृत्व स्वीकार करते है जो संघर्ष में अधिक बलवान होता है। मानवजाति ने भी प्रकृति के कानूनों के इन्ही सार्वभौमिक नियमों का पालन कर अपना विकास किया है। प्रकृति के कानूनों के इन्ही सार्वभौमिक नियमों के फलस्वरूप ही एक वर्ग विशेष कमजोर होता चला गया। शारीरिक बनावट हो या अन्य कारण, स्त्री एवं बालकों को समाज में सदैव दबाया और कुचला गया। इसी प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों, दलितों और पिछड़ों को मुख्यधारा में सम्मिलित होने के कम ही अवसर प्राप्त हुए है, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और संविधान के लागू होने के बाद सभी वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनके उत्थान हेतु विशेष उपबन्ध किए गए है। इनमें सबसे प्रमुख 'समता का अधिकार' है जोकि संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक देश के सभी व्यक्तियों को 'समता का अधिकार' प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 14 उपबन्धित करता है 'भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।'[1]

अनुच्छेद 15 का प्रथम खण्ड 'राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है।'[2]

अनुच्छेद 16 यह उपबन्धित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 (2) यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर, कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और ना ही उससे किसी भी प्रकार का विभेद किया जायेगा।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है।

अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को चाहे वह 'नागरिक' हो या 'विदेशी' को उपाधियां (titles) प्रदान करने से मना करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित सामंतशाही

परम्परा का अन्त करता है, किन्तु अनुच्छेद 18 सेवा या विद्या सम्बन्धी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है।

भारत के संविधान के ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद नागरिकों को 'समता का अधिकार' प्रदान करते हैं। संविधान के कुछ उपबन्ध 26 नवम्बर 1949 को प्रवृत्त हुए और शेष उपबन्धों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इस दिन को सभी भारतीय 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते है।

वर्ष 2022 को देश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। 75 वर्षों के स्वतन्त्र कालखण्ड के दौरान भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ***'समता के मौलिक अधिकारों'*** की स्थिति का आत्म-अवलोकन करना आवश्यक हो गया है।

साथ ही इस तथ्य का आत्मनिरीक्षण करना भी आवश्यक हो गया है कि आखिरकार किन कारणों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 तक के अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता पड़ी? इस शोध पत्र में इन बिंदुओं के साथ-साथ 'समान अवसर आयोग' बनाने की आवश्यकता की भी पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

समता का अधिकार

विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। **चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि 'अनुच्छेद 14 का संरक्षण नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है और इसके अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल है।'[3] **गुजरात राज्य बनाम श्री अम्बिका मिल्स** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 'अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द के अंतर्गत 'विधिक व्यक्ति' भी सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है किन्तु वर्गीकरण की अनुमति देता है किन्तु वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं अन्यथा यह असंवैधानिक होगा।'[4] यदि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया गया है तो ऐसी विधि संवैधानिक होगी।

इ. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समता की पारम्परिक धारणा जोकि युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है को मानने से अस्वीकार कर दिया और एक नए दृष्टिकोण 'नैसर्गिक न्याय- मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण' को अपनाया। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकों निर्णयों में मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है।

वर्गीकरण के आधार

किसी अधिनियम की संवैधानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वर्गीकरण का कोई समुचित आधार है या नहीं। यह वर्गीकरण मुख्यतः समय तथा स्थान में अन्तर, मनुष्य की प्रकृति में अंतर, भौगोलिक कारण और मनुष्य के पेशा-कार्य आदि के आधारों पर किया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'भारत क्षेत्र के अन्दर' वाक्यांश का यह तात्पर्य नहीं है कि सम्पूर्ण देश के लिये एक ही विधि हो। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून लागू किये जा सकते हैं। एक ही प्रान्त को कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और उसकी परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न कानून लागू किये जा सकते हैं। इसी प्रकार राज्य स्वयं एक वर्ग है और साधारण नागरिकों से भिन्न है। अतएव यदि कोई

अधिनियम राज्य के साथ भिन्न व्यवहार करता है, जो नागरिकों के साथ नहीं करता तो वह विभेदकारी नहीं माना जायेगा।

सोमदत्त बनाम पंजाब राज्य[6] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि प्राप्त करने, विशेष उद्योगों का चुनाव करने और भूमि का अधिग्रहण कर उसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है; लेकिन ऐसा करते समय उसे राज्य की आवश्यकताओं, वर्तमान सुविधाओं तथा दुसरे तर्कसंगत तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।

समता के लिए विशेष उपबन्ध

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 15 (1) एवं 15 (2) का कोई उपबन्ध राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी। स्त्रियों एवं बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है किसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने **मूलर बनाम आरेगन** के मामले में कहा है कि 'अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दु:खद स्थिति में करा देते हैं। अत: उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।'[7] इस प्रकार अनुच्छेद 42 के अंतर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकता है और इससे सम्बन्धित कानून द्वारा अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण नहीं होता। इसी प्रकार **दत्तात्रेय बनाम स्टेट** के मामले में उच्च न्यायालय दारा अभिनिर्धारित किया गया है कि 'राज्य केवल स्त्रियों के लिये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा अन्य ऐसी संस्थाओं में उनके लिये स्थान भी आरक्षित करा सकता है।'[8]

महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करने, उनपर निगरानी रखने के लिए और उसमें आवश्यक सुधारों के सम्बन्ध में सिफारिश देना के लिए, संसद ने 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990' पारित किया। आज सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तत्परता से कार्य कर रहा है।

संविधान का अनुच्छेद 15 (4), अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 15 (2) के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद है। यह संशोधन **मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराईराजन**[9] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरुप जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 (4) के अंतर्गत राज्य किन्ही सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान कर सकता हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 (5) शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति की प्रगति के लिये सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये आरक्षण का उपबन्ध करता है।

संविधान का अनुच्छेद 15 स्त्रियों, बालकों, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिये विशेष उपबन्ध की बात करता है। भारत का संविधान 'कल्याणकारी राज्य' की बात करता है अर्थात राज्य का दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के उत्थान द्वारा समानता लाने का प्रयास करेगा।

लोक सेवाओं में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16 (1) उपबन्धित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी खण्ड (2) कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और ना उसमें विभेद किया जायेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 16 के खण्ड (1) एवं (2) में राज्य की नौकरियों में समता का सामान्य नियम निहित है।

राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के अवसर की समता के निम्नलिखित अपवाद हैं।

1. खण्ड (3) संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये उस राज्य में 'निवास की अर्हता' विहित कर सकती है।
2. खण्ड (4) राज्य को सरकारी सेवाओं में 'पिछड़े वर्गों' के लिये पदों के आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है।
3. खण्ड (4 क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिये सरकारी सेवाओं में 'प्रोन्नतियों में आरक्षण' करने की शक्ति प्रदान करता है
4. खण्ड (4 ख) बैकलॉग पदों को अगले वर्ष भरे जाने की स्थिति में 50% का नियम ना लगाने के सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

संविधान के 103 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 (6) एवं 16 (6) को जोड़ा गया जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियोजन में 10% आरक्षण का उपबन्ध करता है। यह आरक्षण 15 (4) एवं 15 (5) में उपबन्धित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों से भिन्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये रखा गया है।

समाज के सभी वर्गों तक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, आय की असमानता को कम करने, शैक्षिक व सामाजिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के उत्थान के लिये राज्य विभिन्न स्तरों पर नीतियों का निर्माण कर उन्हें लागू करने का प्रयास करता है।

समान अवसर आयोग

भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में 'समान अवसर आयोग' के लिये विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। इसके द्वारा वर्ष 2008 में समान अवसर आयोग बिल 2008 का मसौदा प्रस्तुत किया गया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न आयामों में समानता के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द समान अवसर आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। '***समान अवसर आयोग क्या, क्यों और कैसे?(Equal Opportunity Commission: What, Why and How?)***'[10] इस विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट है जिसमें समान अवसर आयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। विशेषज्ञ समूह की इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित है:-

हमारी वर्तमान सामाजिक वास्तविकता और भावी पीढ़ियों हेतु संभावनाएं असमानताओं को चिह्नित करती हैं। जबकि 'समानता' हमारे गणतंत्र का एक मौलिक मूल्य है। इन विभिन्न समूहों में निहित असमानताएं समुदायों की सीमाओं की भिन्नताओं को इंगित करती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यता है जो साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को अपना कर साकारात्मक कार्रवाई हेतु व्यवस्था विकसित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए पथ-प्रदर्शक संस्था के रूप में कार्य करे। 'समान अवसर आयोग' ही आरक्षण

की मौजूदा नीतियों के पूरक के रूप में सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक अभिन्न दृष्टिकोण के तौर-तरीकों और लाभार्थियों की परिष्कृत परिभाषाओं की सीमा का विस्तार करके इन असमानताओं को दूर कर सकेगा।

भारत के संविधान में उपबन्धित 'समता का अधिकार' प्रत्यक्ष भेदभाव को समाप्त करने के सीधे प्रयास से परे की कल्पना करता है। न्यायालयों द्वारा संविधान के उपबन्धों की व्याख्या कर राज्य द्वारा इस दिशा में साकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। समान अवसर आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह राज्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को नियंत्रित करने, वंचन (deprivation) के चरम रूपों को खत्म करने और इतिहास के बोझ को ध्यान में रखने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करेगा।

विश्वभर में विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक, न्यायिक और देश के संस्थागत संदर्भ में 'समान अवसर आयोग' या उसके समान निकायों द्वारा की गयी समीक्षा इन संस्थाओं की उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। इन संस्थानों के अनुभव से पता चलता है कि सामाजिक पहचान और अवसर में असमानताओं को प्रतिधारण (retention) करने के प्रमाण विकसित करने, इकट्ठा करने और प्रकाशित करने का कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक देश में एक विस्तृत संदर्भ-विशिष्ट नीति विकल्पों और सरकार के सक्रिय और स्वायत्त होने के लिए 'समान अवसर आयोग' की आवश्यकता है।

'समान अवसर आयोग' का क्षेत्राधिकार सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के संदर्भ में व्यापक होना चाहिए, लेकिन कार्यक्षेत्र और मुद्दों की प्रकृति के संदर्भ में उनका क्षेत्राधिकार सीमांकित होगा। जब लाभार्थियों की पहचान पूर्व निर्धारित होने के बजाय साक्ष्य द्वारा की जाएगी तब यह अपने उद्देश्य की सबसे अच्छी सेवा करेगा। इसका कार्यक्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों तक विस्तारित होना चाहिए। इसको शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दे कर केवल समूह समानता से संबंधित मामलों पर विचार करना चाहिए। 'आयोग' का दायरा अन्य आयोगों के साथ स्पष्ट रूप से अतिछादित हो सकता है, फिर भी इसकी अपनी विशिष्ट और अद्वितीय भूमिका होगी, क्योंकि यह एक ऐसी सेवा प्रदान करेगा जो वर्तमान में प्रदान नहीं की जा रही है। संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने की अपेक्षित शक्ति है।

'समान अवसर आयोग' को शिकायत निवारण के बजाय सलाहकार, वकालत और लेखा परीक्षा कार्यों पर ध्यान देना होगा। इस तरह की साक्ष्य-आधारित वकालत की भूमिका में अनुसंधान और आकड़ें एकत्र करने, निगरानी और लेखा परीक्षा, सलाहकार और परामर्शदाता की भूमिका, नीति हस्तक्षेप, सीमित और सहायक क्षमता में शिकायत निवारण, समन्वय, प्रचार और वकालत, और समान अवसर की स्थिति और कार्य-निष्पादन पर प्रतिवेदन तैयार करने और प्रकाशन सहित प्रसार कई कार्य शामिल होंगे।

'समान अवसर आयोग' को एक दीवानी (Civil) न्यायालय की शक्ति देने की आवश्यकता है। जिसके पास भले ही दंडात्मक शक्तियां ना हो पर वह पूछताछ और जांच कर सके। 'आयोग' की प्रभावशीलता इस बात में है कि वह जनमत को प्रभावित कर सके और विश्वसनीय साक्ष्य जुटा सके। 'आयोग' अच्छी सेवा और दीवानी (Civil) न्यायालय की शक्ति, पूछताछ और जांच के माध्यम से उचित विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में अपना साकारात्मक योगदान दे सकेगा।

'समान अवसर आयोग' से एक नए दृष्टिकोण के साथ परिवर्तनात्मक प्रक्रियाएं अपनाने की उम्मीद है। समान अवसर के मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के आकड़ों (सामान्य आकड़ों, समाचार-लेखन, सूचकांक और केस

स्टडी) का निर्माण, संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार ही इस आयोग की सफलता की कुंजी होगी। इसके अलावा आयोग मानकों (पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध प्रक्रिया) का पालन करके सामान्य और विशेष जांच करेगा।

'समान अवसर आयोग' की संरचना को इसके विविध निर्वाचन क्षेत्रों और बहु कार्यात्मक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। 'आयोग' में एक अध्यक्ष और छह (कम से कम दो पूर्णकालिक) सदस्य हों, जिनका कार्यकाल पांच साल का हो। इस आयोग के सदस्यों का चयन 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' की संरचना की भाति होना चाहिए। इसके सदस्यों का चयन विशेषज्ञों (कानून और सामाजिक विज्ञान से कम से कम एक), पेशेवरों और कार्यकर्ताओं, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के उचित प्रतिनिधित्व द्वारा होना चाहिए। 'आयोग' की पारदर्शीता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। 'आयोग' को देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुलभ और प्रासंगिक बनाने हेतु इसकी स्थापना के दो साल के भीतर पांच क्षेत्रीय आयोग बनाने होगे।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त और गणतन्त्र राज्य बनने के बाद भारत के संविधान में उपबन्धित प्रावधानों के अनुरूप देश के प्रत्येक वर्ग स्त्रियां, बालक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और जनजातियाँ सभी को विकास की डोर से जोड़ने के प्रयास होते रहें है। संविधान के महत्वपूर्ण उपबन्धों जिनकी चर्चा शोधपत्र में की गई है में आवश्यकता अनुरूप नए संशोधन किए गए यथा अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को संविधान में जोड़ा गया जोकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उपबन्ध करते है, जिससे इन वर्गों को भी मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। समता के अधिकार को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में न्यायलयों की भी महवपूर्ण भूमिका रही है। उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलयों के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय शोधपत्र में शामिल किए गए है जो समता के अधिकार को लागू करने में मील का पत्थर साबित हुए है। शोधपत्र में समान अवसर आयोग के महत्व को भी उजागर करते हुए आयोग के गठन की आवश्यकता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। लेखक द्वय ने प्रयास किया है कि शोधपत्र में उन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा की जा सके जो भारत के संविधान में उपबन्धित समता के अधिकार को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण रहे है।

संदर्भ

1. डॉ. जे. एन. पाण्डेय; भारत का संविधान, तैतालीसवां संस्करण, पृष्ठ संख्या 84
2. डॉ. जे. एन. पाण्डेय; भारत का संविधान, तैतालीसवां संस्करण पृष्ठ संख्या 128
3. ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41
4. 1974 (2) उ. म. नि. प. 125
5. ए.आई. आर. 1974 एस.सी. 597
6. ए.आई.आर. 1963, एस.सी. 151
7. 12लॉ एड 55
8. ए. आई. आर. 1953 बम्बई 311

9. ए. आई.आर. 1952 कलकत्ता 825
10. httpswww.minorityaffairs.gov.insitesdefaultfileseoc_wwh.pdf
11. डॉ. एम. पी. जैन; The Constitution of India
12. प्रो. के. सी. जोशी; The Constitution of India

फोन नंबर: +919456316126
ई-मेल: yashalini@gmail.com